इंदौर, मध्य प्रदेश में 30 सितम्बर, 2014 को कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनरों के सम्मान समारोह में माननीय अध्यक्ष का भाषण

1. मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए कर्मचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है और आज इस संशोधित योजना के लाभार्थियों के सम्मान में आयोजित पेंशनर सम्मान समारोह में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। हमने इस साल अगस्त के महीने में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं ताकि हम सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे को बढ़ा सकें और अपने मेहनती कामगारों के लाभों में भी वृद्धि कर सके।

2. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इतने वर्षों में देश के सामने आई बड़ी-बड़ी और गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया है। जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बदलाव आए हैं, फिर चाहे हमारा रहन सहन हो, साक्षरता दर हो, सेहत के मानक हो या फिर आर्थिक वृद्धि और विकास की बात हो। आज हम भारत को विकसित और संपन्न बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सफलता का श्रेय हमारे करोड़ों मेहनती कामगारों को जाता है, जो हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान करते हुए देश के निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं।

3. एक कर्मचारी अपने जीवन के कीमती साल अपनी संस्था को देता है, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वह कर्मचारी की उम्र ढलने पर उसके और उसके परिवार की देख-रेख के लिए समुचित कदम उठाए। जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो उम्र के ऐसे पड़ाव पर उसे अपने और अपने परिवार के पालन-पोषण का साधन ढूंढना पड़ता है और उसकी जिम्मेदारी तथा बोझ दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में उन्हें बुनियादी न्यूनतम आय और सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना बनाना सरकार का कर्तव्य है।

4. भारत में कामगारों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और उनकी जरूरतों और हितों को स्वीकार कर उन्हें भविष्य निधि, पेंशन और पारिवारिक पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सन् 1952 में भविष्य निधि कर्मचारी संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) की स्थापना की गयी थी। 62 वर्षों में ईपीएफओ सदस्यों और कवरेज के लिहाज से पूरे संसार के सबसे बड़े संगठनों में से एक बन गया है। आज कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952) के अंतर्गत लगभग आठ लाख संस्थान हैं और ग्यारह करोड़ से अधिक सदस्य हैं। संगठित क्षेत्र के हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए चलाई जा रही मुख्य योजनाएं हैं - अंशदायी भविष्य निधि योजना जिसमें नियोजक और कर्मचारी दोनों ही अपने-अपने

हिस्से का अंशदान करते हैं; कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारियों की डिपॉजिट से जुड़ी बीमा योजना।

5. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में हुए महत्वपूर्ण संशोधनों के फलस्वरूप 1 अक्तूबर से प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ में कुल 49 लाख पेंशनर्स हैं जिनमें से वर्तमान में लगभग 13 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 500 रुपये से कम और 19 लाख पेंशनर्स को 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में पेंशन मिलती है। अतः, सरकार के इस कदम से लगभग 32 लाख लोगों को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी और इस बढ़ी हुई पेंशन राशि के लिए भारत सरकार ने स्वयं धनराशि मुहैया करने का निर्णय किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए पिछले 10-12 वर्षों से मांग की जा रही थी और न्यूनतम पेंशन राशि का पुनर्निर्धारण नई सरकार ने आते ही तुंत कर दिया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचती है बल्कि उनसे एक संवाद भी स्थापित होता है जिससे समस्याओं के निराकरण में मदद मिलती है और अनेक नए विचार एवं सुझाव प्राप्त होते हैं।

6. इसी प्रकार, कर्मचारी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के लाभ को और विस्तार देने के लिए ईपीएफओ खाते में न्यूनतम वेतन की सीमा 6,500/- रुपये से बढ़ाकर 15,000/- रुपये प्रतिमाह कर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम से लगभग 50 लाख नए कर्मचारी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, बढ़ी हुई वेतन सीमा के कारण अनेक कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त होगी। कर्मचारियों के डिपॉजिट से जुडी बीमा योजना के लाभ को भी 1,30,000/- रुपये से बढ़ाकर 3,60,000/- रुपये कर दिया गया है। ईपीएफओ के खाताधारकों की अकस्मात मृत्यु की दशा में यह बढ़ी हुई धनराशि निश्चय ही उनके आश्रितों को सहारा देगी। मैं समझती हूँ कि इन उपायों से हमारे करोड़ों कामगारों को कुछ राहत मिलेगी।

7. आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था संसार की जीवंत और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। दुनिया भर में हमें सूचना-प्रौद्योगिकी, उद्योग और उद्यमशीलता के क्षेत्र में मिल रही सफलताओं के कारण जाना जाता है। आज जब हम बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रगति और समृद्धि के पथ पर समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ें।

8. मुझे इस बात की भी ख़ुशी है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खातों के संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूँकि यह लाखों कामगारों और उनके गाढ़े पसीने की कमाई के खातों का मामला है, इसलिए खातों के

प्रबंधन की नई तकनीक अपनाने से इसकी व्यवस्था आसान होगी, शिकायतों का निपटान जल्द होगा एवं बेहतर अनुपालन के साथ पारदर्शिता भी आएगी।

9. वर्तमान सरकार न केवल बढ़ी हुई पेंशन राशि प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है बल्कि उनकी सुविधा के लिए अनेक ऐसे प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं जिनसे उन्हें, उनके परिवारजनों एवं आश्रितों को लालफीताशाही से मुक्ति मिलेगी और पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई नई सेवाएं हैं -

- ऑन लाईन दावा पोर्टल- इस सेवा द्वारा लेखा अंतरण दावों को ऑन लाईन जमा कराना संभव हुआ है।
- स्थापनाओं का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन- की सहायता से व्यवसायों एवं नियोक्ताओं को अपना पंजीकरण एवं कोड संख्या ऑनलाईन प्राप्त करना संभव हुआ है।
- ई-पास बुक- सदस्यों को पूर्ण एवं अद्यतन लेखा विवरणों को ऑनलाईन देखने की सुविधा मिली है।
- लाभों का ई-भुगतान - दावों एवं पेंशन के सभी भुगतान सदस्यों एवं लाभप्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है।
- यूनीवर्सल अकाउंट नंबर - सदस्यों को भौगोलिक रूप से पूर्ण पोर्टेबिलिटी प्रदान करने की सुविधा देता है। इससे सदस्य के प्रत्येक रोजगार के लिए अलग पहचान संख्या तथा उसके अंशदान एवं विलय की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

10. ई.पी.एफ.ओ. जैसे बड़े संगठन में जहां पर कामगारों का कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सीधा सम्पर्क होता है, यह नितांत आवश्यक है कि सतर्कता मशीनरी पूरी तरह से मुस्तैद हो ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत पर तेजी से दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हो सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित हो कि झूठी शिकायतों के कारण कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े।

11. मैं मानती हूँ कि हमारे मेहनती कामगार अपने अधिकारों और दायित्वों को समझते हैं और अपने कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। ऐसे में नियोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए बेहतर एवं सुरक्षित माहौल के साथ जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएं। एक स्वस्थ और बेहतर माहौल में हम उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ा सकते हैं। हमारी सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दे रही है ताकि हमारे सभी कामगार कुशल एवं दक्ष बनें। इससे न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि कुशल और दक्ष कामगारों को अधिक आय उपार्जन करने के अवसर प्राप्त होंगे।

12. इस अवसर पर मैं एक बार फिर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए सरकार एवं ईपीएफओ को बधाई देती हूँ।

धन्यवाद।